बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सां०नि०/स्था०17–23/2020 193 /पटना, दिनांकः– 10/06/22

कार्यालय आदेश

श्री मिथिलेश कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बछवाड़ा, जिला–बेगुसराय के विरूद्ध खरीफ विपणन वर्ष 2017–18 में प्रधान मंत्री फसल योजना के तहत भदई मकई के फसल कटनी प्रयोग के अज्ञात लोगों द्वारा गलत अनुसूची बनाने की घटना की सूचना अपने नियंत्री पदाधिकारी/उच्चाधिकारी को नहीं देने के आरोप के आलोक में गठित आरोप प्रारूप पर निदेशालय के पत्रांक–907 दिनांक–06.05.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(4) के तहत श्री कुमार से अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री मिथिलेश कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक–02.12.2019 के समीक्षोपरांत असंतोषजनक पाये जाने पर उसे अस्वीकृत करते हुए निदेशालय के का०आ० सं०–70 सहपठित ज्ञापांक–688 दिनांक–15.05.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत श्री मिथिलेश कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), बेगुसराय को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगुसराय को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जिला पदाधिकारी, बेगुसराय ने अपने पत्रांक–2858/रा० दिनांक–28.04.2021 द्वारा सूचित किया है कि बेगुसराय जिला में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) पदस्थापित नहीं हैं, इसलिए अपर समाहर्त्ता, (राजस्व) बेगुसराय को विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया।

2. अपर समाहर्त्ता, बेगुसराय के पत्रांक–1790/रा० दिनांक–26.04.2021 द्वारा श्री मिथिलेश कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने निम्न निष्कर्ष दिया है :–

"प्रपत्र 'क' में गठित आरोप, आरोपी कर्मी श्री मिथिलेश कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बछवाड़ा का स्पष्टीकरण एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी–सह–उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य/प्रतिवेदन एवं बयान और साक्ष्य के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आरोपी कर्मी के द्वारा फसल कटनी का आँकड़ा बदलकर जिला सांख्यिकी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया जिसे आरोपी कर्मी द्वारा दबाव में आकर आँकड़ा बदलने का उल्लेख किया गया है एवं इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देने की बात कही गयी है। घटना की जानकारी का साक्ष्य स्वरूप कोई भी कागजात आरोपी कर्मी द्वारा संलग्न नहीं किया गया है और न ही उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा बदला हुआ आँकड़ा/घटना संबंधी साक्ष्य उपलब्ध कराया गया।

0380 स्था०1 (का०आ०) (11 मई 2022)मिथिलेश कुमार.

अतः संदेह का लाभ देते हुए आरोपी कर्मी श्री मिथिलेश कुमार के विरूद्ध आंशिक आरोप प्रमाणित होता है।''

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी और समीक्षोपरान्त उससे असहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(2) के तहत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निम्न असहमति का बिन्दु गठित किया गया :–

" बेगुसराय जिलान्तर्गत खरीफ (वर्ष 2017–18 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भदई मकई के फसल कटनी प्रयोग श्री मिथिलेश कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा प्रखंड–बछवाड़ा के ग्राम –भगवानपुर (थाना सं०–21) में प्लॉट संख्या–28 एवं 75 में संपादित किया गया था। उक्त ग्राम के भदई मकई के फसल कटनी प्रयोग के बीमा कम्पनी के रिपोर्टिंग प्रपत्र में अंकित मकई के बालों का वजन एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा निदेशालय को भेजे गये मकई के बालों के वजन में अन्तर पाया गया।

इस संबंध में गठित जाँच दल को आपके द्वारा बताया गया कि अज्ञात लोगों द्वारा दबाव देकर एवं जान से मारने की धमकी, गाली–गलौज करते हुए जबरदस्ती भिन्न वजन वाला फसल कटनी प्रयोग की अनुसूची बनाई गई एवं हस्ताक्षर करवाया गया।

यदि ऐसी घटना घटी थी तो तत्काल आपको अपने नियंत्री पदाधिकारी/उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहिए था जो आपके द्वारा नहीं किया गया एवं तथ्यों को छुपाया गया।

उक्त से स्पष्ट है कि आपके द्वारा अपनी जिम्मेवारी का सम्यक निर्वहन नहीं किया गया। आपकी जिम्मेवारी बनती थी कि भदई मकई फसल कटनी प्रयोग की गलत अनुसूची बनाये जाने की सूचना तत्काल नियंत्री पदाधिकारी/उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाते, इस घटना की नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कराते एवं गलत अनुसूची निदेशालय को भेजे जाने से रोकते, जो आपके द्वारा नहीं किया गया एवं तथ्यों को छुपाया गया। इस मामले में आप पूर्णतः दोषी हैं।"

असहमति के गठित उक्त बिन्दु पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत श्री मिथिलेश कुमार से अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में समर्पित अपने अभ्यावेदन दिनांक–30.03.2022 में श्री कुमार ने निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है:–

(i) प्रखंड कार्यालय, बछवाड़ा के पत्रांक–2439 दिनांक–30.10.2017 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं बीमा कम्पनी के रिपोर्ट में अंकित मकई के बालों का वजन वही है, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, बछवाड़ा के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में है।

(ii) प्रखंड कार्यालय, बछवाड़ा से प्रतिवेदन जिला सांख्यिकी कार्यालय, बेगुसराय को प्रेषित किया गया।

(iii) घटना वृतांत तत्कालीन नियंत्री पदाधिकारी, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी श्री सुनील कुमार प्रसाद को दूरभाष पर दिया गया जिसपर उन्होंने बताया कि आपके द्वारा समर्पित प्रतिवेदन फसल नियंत्रण पंजी में दर्ज किया जा चुका है और प्रतिवेदन निदेशालय भेजा जा चुका है।

(iv) उन्हें पूर्णतः दोषी ठहराया जाना गलत, अनुचित, मिथ्या एवं मनगढंत कथन है क्योंकि अनुसूचियों का निदेशालय प्रेषण में उनकी भागीदारी कतई नहीं है।

4. श्री मिथिलेश कुमार द्वारा समर्पित अपने अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो उनके द्वारा समर्पित अपने पूर्व के अभ्यावेदन/स्पष्टीकरण में किया गया है। उनके द्वारा किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। असहमति के गठित बिन्दु पर प्राप्त श्री कुमार के अभ्यावेदन के समीक्षा से स्पष्ट है कि श्री कुमार का अपने कार्यों के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा है एवं अपने दायित्व का अनुपालन ठीक ढंग से नहीं किया गया है। अतएव इनका अभ्यावेदन अस्वीकार योग्य है। अतः उक्त गठित असहमति के बिन्दु के प्रमाणित आरोपों के लिए श्री मिथिलेश कुमार पर संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया जाता है।

अतः श्री मिथिलेश कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बछवाड़ा, बेगुसराय पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (vi) में किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

ह०/–

(संजय कुमार पंसारी)

निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सा०नि०/स्था०17–23/2020 1025 /पटना, दिनांकः– 10/06/22

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

निबंधित-

2. जिला पदाधिकारी, बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. उप निदेशक (सां०) मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बछवाड़ा प्रखंड, बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री मिथिलेश कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड कार्यालय,बछवाड़ा, जिला–बेगुसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

10/6/22

निदेशक

0380 स्था0 1 (का0 आ0) (11 मई 2022)मिथिलेश कुमार.